संख्या-1264/एक-10-2023-33(08)/2023

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 23/08/2023

विषयः- बाढ/आपदा के दौरान समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु तैनात कर्मियों/टीमों को सेफ्टी किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-222(1)/आपदा-2023, दिनांक-01.08.2023 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाढ के दौरान समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु तैनात किये गये राजस्व कर्मियों एवं चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा विभाग की "रैपिड रेस्पांस टीम" को निम्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार सेफ्टी किट क्रय कर वितरित किये जाने हेतु **राज्य आपदा मोचक निधि के मद-10 से** निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में **रूपये 18,21,550/- (रूपये अठारह लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचास** मात्र) की धनराशि **जिलाधिकारी, गोरखपुर** के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्रमांक	सुरक्षा उपकरण	मात्रा	दर (रू० में)	कुल धनराशि (रू० में)
1	**लाईफ जैकेट-** 288 लेखपाल, 46 राजस्व निरीक्षक, 27 नायब तहसीलदार, 07 तहसीलदार, 07 उपजिलाधिकारी, 03 अपर नगर मजिस्ट्रेट, 01 नगर मजिस्ट्रेट, 04 अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी तथा चिकित्सा व पशु चिकित्सा विभाग के रैपिड रेस्पांस टीम हेतु 50-50 जैकेट ।	484	2400/-	11,61,600/-
2	**लाईफ बॉय रिंग-** नायब तहसीलदार स्तर से जिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों के वाहनों में आपातकालीन प्रयोग हेतु ।	50	4200/-	2,10,000/-
3	**सर्च लाईट-** नायब तहसीलदार स्तर से जिलाधिकारी स्तर तक अधिकारियों के वाहनों में आपातकालीन प्रयोग हेतु ।	50	1699/-	84,950/-
4	**प्राथमिक उपचार किट-** अधिकारियों के वाहनों में आकस्मिक स्थिति में प्रयोग हेतु।	50	2800/-	1,40,000/-

			-	
5	मैगाफोन-अधिकारियों के वाहनों में आवश्यक सूचनाओं एवं जागरूकता संदेश प्रेषण हेतु।	50	4500/-	2,25,000/-
	योग			18,21,550/-
	रूपये अठारह **लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचास मात्र**			

नियम व शर्तें / प्रतिबंधों

(1) किटों को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में क्रय के सुसंगत नियमों/ वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(2) किटों का क्रय जेम पोर्टल से ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) क्रय किये गये किटों का वितरण आपदा के दौरान समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने हेतु तैनात कर्मियों/टीमों को ही किया जायेगा।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(10) लाइफ जैकेट एवं लाईफ बॉय रिंग का क्रय NDRF द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मानक के अनुसार किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 18,21,550/- **(रूपये अठारह लाख इक्कीस हजार पांच सौ पचास मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0610-स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राम केवल
Date: 23-08-2023 17:38:00
Reason: Approved

विशेष सचिव।

संख्या-1264(1)/एक-10-2023-33(08)/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-08/09/2023

प्रेषण संख्या:- 1264
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1264
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1821550 1821550	1821550 1821550
	योग	वर्तमान प्रगामी	1821550 1821550	1821550 1821550

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचास

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन